UPGK010059922026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–2659 / 2026,
राजवीर पुत्र सोमनाथ
निवासी–बाल बुजुर्ग, थाना चौरीचौरा, जनपद गोरखपुर।

आवेदक / अभियुक्त,

प्रति
उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या–221 / 2026
धारा–126(2), 115(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता
थाना–चौरीचौरा, जनपद– गोरखपुर।

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदक / अभियुक्त राजवीर, जो अपराध संख्या–221 / 2026 धारा–126(2), 115(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना–चौरीचौरा, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2– मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा राज जायसवाल दिनांक 07.06.2026 को अपने निजी काम से अपनी निजी मोटरसाईकिल से गौरी बाजार से वापस अपने घर आ रहा था जैसे वही वह रेंज स्कूल के आगे बाल बुजुर्ग डिग्री कालेज से करीब 200 मीटर पहले ही पहुॅचा था कि पहले से घात लगाये बैठे अमन सोनकर पुत्र सेवा सोनकर व राज पुत्र अज्ञात अचानक वादी को रास्ते में रोकर जान से मारने की नीयत से लाठी, डण्डा व लोहे की राड व लात–मुक्का से वादी को मारने–पीटरने लगे। उक्त लोगों के मार–पीट से वादी मौके पर ही बेहोश हो गया। वादी को मरा समझ कर उक्त लोग वहॉ से भाग गये। उक्त लोगों के मारने से वादी का बांया हाथ उठ नहीं रहा है और सिर फट गया है और हाथ व पैर में काफी अंदरूनी चोटें आई। गांव के कुछ लोगों के द्वारा वादी को निजी हास्पिटल में एडमिलट कराया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा राज जायसवाल की चिकित्सीय परीक्षण आख्या का अवलोकन कर अंकन किया है जो निम्नलिखित है।

1. HAVING FIVE STICHED OWNED ON TOP OF THE OCCIPITAL

REGION OF HEAD SLIGHTLY LEFT SIDE LENTH 5.50 CM.

2. HAVING TWO STICHED OWNED ON UPPER PART OF LIP RIGHT SIDE LENTH 1.00 CM

3. CONTUSION ON LEFT SIDE OF SCAPULA SIZE 4.00 CM X 2.00 CM AND DISTANCE 1.00 CM FROM LEFT AXILLA.

4. CONTUSION ON LEFT SCAPULA SIZE 5.00 CM X2.00 CM DISTANCE 2.50 CM FROM INJURY NO 3,

5. CONTUSION ON LOWER PART OF RIGHT SCAPULA SIZE 4.50 CM X2.00 CM DISTANCE 5.00 CM FROM RIGHT AXILLA.

6. A CONTUSION ON BACK SIDE 7.00 CM X2.00 CM DISTANCE 2.00 CM FROM LEFT SCAPULA FROM LOWER SIDE.

7. A CONTUSION ON LEFT HAND SIZE 7.50 CM X 2.00 CM DISTANCE 2.00 CM FROM LEFT SHOULDER.

8. A CONTUSION ON LEFT HAND 5.00CM X2.00 CM DISTANCE 4.00 CM FROM LEFT ELBOW

9. ACONTUSION ON LEFT FOREARM SIZE 7.00CM X2.00 CM DISTANCE 6.00 CM FROM LEFT WRIST JOINT.

चिकित्सक की राय के अनुसार आहत को आई चोट संख्या–1 को छोड़कर सभी चोटें साधारण थी तथा किसी कठोर कुन्दालय से पहुॅचाई गई थी। चोट संख्या–1 के सी0टी0स्कैन हेड कराने के लिये आहत को जिला चिकित्सालय, गोरखपुर सन्दर्भित किया गया। केस डायरी पर उपलब्ध आहत राज जायसवाल के सी0टी0स्कैन रिपोर्ट में कोई असामान्यता नहीं पाई गई है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई समय अंकित नहीं है। आहत को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना कारित करने का कोई हेतुक नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6– मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

7– आवेदक/अभियुक्त राजवीर का उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को प्रकरण से सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन रू. 50,000/– का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बंध–पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,

घ– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा,

ड.– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वांछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा,

8– किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

9– इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये। इस आदेश की एक सॉफ्ट कापी आज ही ई–मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को प्रेषित की जाये।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–30.06.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.30 18:46:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court